राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक :पीएसकेएस अभि.–2021/डीएलबी/21/26968 दिनांक :– 30/12/2021

अधिसूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.10.2021 में अभियान अवधि के लिए कृषि भूमि रूपान्तरण, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, उप–विभाजन/पुनर्गठन शुल्क एवं नाम हस्तानान्तरण के प्रकरणों की दरें/शुल्क में अभियान अवधि के लिए विशेष छूट आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए दी गई है। उक्त अधिसूचना में यह स्पष्ट अंकित है कि उक्त प्रदत्त दी गई छूट अभियान अवधि हेतु ही प्रभावशील रहेगी। अतः उक्त विभागीय अधिसूचना दिनांक 29.10.2021 के मद संख्या 7 के नोट के बिन्दु 5 के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त विभागीय अधिसूचना दिनांक 29.10.2021 में वर्णित दरें/शुल्क ही अभियान अवधि के लिए वसूल की जावें। अभियान अवधि के लिए नगरीय निकाय अपने मण्डल के किसी पूर्व निर्णय/आदेश के आधार पर अन्य दर/शुल्क वसूल नही करें।

उक्त अधिसूचना सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक :पीएसकेएस अभि.–2021/डीएलबी/21/26969–27475 दिनांक :– 30/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/ विकास प्राधिकरण।
7. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
10. आयुक्त, नगर परिषद श्रीगंगानगर को उनके पत्र कमांक 2917 दिनांक 09.11.2021 के संदर्भ में।
11. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
12. अधीक्षक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान–राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु।
13. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

D/PSKS2021/Order